प्रेस विज्ञप्ति
02.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित नियामत अली भट के 01 कनाल, 03 मरला भूमि, उस पर बने दो मंजिला आवासीय घर और एक वाहन के रूप में 1.56 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह आर एंड बी विभाग, जम्मू-कश्मीर के कनिष्ठ अभियंता हकीम इम्तियाज से संबंधित मामला है, जिन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके नियामत अली भट सहित निजी सेलुलर ऑपरेटरों और ठेकेदारों के साथ आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाया, जिसके द्वारा सरकारी धन का गबन किया गया।

ईडी ने आरएंडबी विभाग, जम्मू-कश्मीर के कनिष्ठ अभियंता हकीम इम्तियाज और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पीसी अधिनियम, आरपीसी अधिनियम, पीसी अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी, अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि हकीम इम्तियाज ने नियामत अली सहित अन्य लोगों के साथ एक आपराधिक साजिश में धोखाधड़ी से फाइबर-ऑप्टिक केबल बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति की मरम्मत के लिए 2.67 करोड़ रुपये का दावा कर धनराशि प्राप्त की और एक ही ऑपरेटर के साथ एक बैंक खाते में जमा किया गया, जिसे धोखाधड़ी से उक्त निधि को हड़पने के इरादे से "सहायक अभियंता, पीडब्ल्यू (आर एंड बी) डिवीजन, शोपियां" के नाम पर खोला गया था। आगे यह भी पता चला है कि बैंक खातों में अपराध की आय प्राप्त होने पर, नियामत अली भट ने उसके एक भाग का उपयोग कुर्क संपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए किया था।

आगे की जांच जारी है।